छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 371/2007</u>

श्री रमाकान्त द्विवेदी,
जिला अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस,
जिला–बस्तर, जगदलपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
प्राचार्य,
महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक
विद्यालय, जगदलपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 03 जुलाई 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री रमाकान्त द्विवेदी द्वारा जन सूचना अधिकारी कार्यालय प्राचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जगदलपुर से आवेदन दिनांक 26–12–2006 के द्वारा जानकारी के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जन सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 30–12–2006 के द्वारा यह उत्तर दिया कि अधिनियम की कंडिका–8(1)(जे) के तहत ऐसी जानकारी देने का प्रावधान नहीं है। इसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जगदलपुर के यहां की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई उपरान्त दिनांक 27–02–2007 के द्वारा आदेश पारित किया गया और जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया गया। किन्तु प्राचार्य द्वारा जानकारी न देते हुये इसके विरूद्ध उप सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति विभाग, मंत्रालय, रायपुर को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि जानकारी व्यक्तिगत है और उसका उद्देश्य प्राचार्य को परेशान करना है, अतः अधिनियम की धारा–8(1)(जे) के अंतर्गत जानकारी देना उचित नहीं होगा।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। सर्वप्रथम प्रथम अपील के आदेश के बाद द्वितीय अपील का प्रावधान केवल सूचना आयोग में ही है और उप सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग को जो अपील प्राचार्य के द्वारा की गई है, वह अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, अतः उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि प्राचार्य को अपील करना था तो सूचना आयोग में ही करना चाहिये था। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के स्पष्ट निर्देश थे और विडियो कान्फ्रेंस से प्रकरण की सुनवाई करते समय तर्क में भी प्राचार्य के प्रतिनिधि उपस्थित हुये थे, उनके द्वारा जानकारी केवल व्यक्तिगत बताया गया था, किन्तु आवेदन को देखने से स्पष्ट है कि जो भी जानकारी मांगी गई है, वह ऐसी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, जिससे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो और चूँकि वह

शासकीय रिकार्ड का अंग है, अतः उस जानकारी को दिये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती।

3/ अतः उक्त अपील स्वीकार की जाती है और जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे चाही गई समस्त जानकारी अब 15 दिन के अन्दर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान करें। चूँकि अधिनियम की व्याख्या करने में भ्रम के कारण जानकारी नहीं दी जा सकी, अतः इस प्रकरण में शास्ति की कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, किन्तु विलम्ब के कारण जो मानसिक/आर्थिक क्षति अपीलार्थी को हुई है, उसके लिये अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत निर्देश दिये जाते हैं कि विभाग द्वारा अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में 250/– रुपये (दो सौ पचास रुपये मात्र) की राशि का भुगतान किया जावे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त